संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह सच है कि विभिन्न शहरों में गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम के कतिपय पहलुओं को सहायतार्थ नगर समूह परियोजनायें यूनिसेफ की सहायता से आरम्भ की गई हैं ।

(ख) फिलहाल ये परियोजनायें हैदराबाद, विशाखापट्टनम्, अहमदाबाद, बड़ोदा और कानलूर में चल रही हैं। दिस्म्बर, 1983 तक कुल मिलाकर ऐसी 15 परियोजनाओं को विभिन्न शहरों में आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है । यूनिसेफ के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए समझौते की वृहद् योजना के अनुसार विभिन्न शहरों में नगर समूह विकास परियोजनाओं के लिए 1981-83 की अवधि के लिए यूनिसेफ का 30 लाख अमेरिकी डालर के अनुदान देने का प्रस्ताव है । शेष 10 शहरों के लिए योजनाओं की कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

हिमालय को संरक्षण एवं संवर्धन

9633. श्री हरीश रावत:
श्री जेवियर अराकल:
श्री जितेन्द्र प्रसाद:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालय अंचल के वनों के पर्यवरणीय महत्व को देखते हुए सरकार की उनके संरक्षण एवम समवर्धन की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि तथा ग्रामिण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) जी हां।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित तीन योजनाएं निम्नलिखित हैं:--

(1) हिमालय क्षेत्र में मृदा, जल एवं वृक्ष संरक्षण। यह योजना जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा मणिपुर में चल रही है।

(2) नदी घाटी परियोजनाओं में सुवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण। इसके अंतर्गत जम्मू तथा कश्मीर में पोहरू सुवण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में सतलुज, ब्यास तथा गिरीबट सुवण क्षेत्र, चंडीगढ़ में सुखना झील, उत्तर प्रदेश में, रामगंगा, पश्चिम बंगाल में तीस्ता तथा असम में तागलाडिया आते हैं।

(3) सिन्ध-गंगा के मैदान की बाढ़ प्रवण नदियों में समंकित जलधारा प्रबन्ध।

इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में ताजेवाला से ऊपर यमुना और उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश से ऊपर गंगा आती है।

(2) हिमालय अंचल के प्रत्येक राज्य में राज्य क्षेत्र के मृदा संरक्षण कार्यक्रम हैं।

(3) पर्यावरण विभाग तथा योजना आयोग ने हिमाचल अंचल तथा अन्य दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में परिस्थितिकीय विकास के लिए योजनाएं शुरू की हैं। इस कार्य के लिए पर्यावरण विभाग ने एक पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना की है ताकि स्थानीय लोगों, स्वैच्छिक संगठनों, छात्रों, संबंध राज्य एजेंसियों आदि के सहयोग से उन चुनिंदा दुर्गम क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा वनरोपण आदि से क्षेत्रीय कार्यक्रम आरम्भ किए जा सकें जहां उपचार तुरन्त आवश्यकता है।

(4) योजना आयोग भी हिमालय क्षेत्र के विश्व-विद्यालयों में कार्योन्मुखी अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ कर रहा है ताकि उनकी सुविधाओं का उपयोग किया जा सके और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में छात्र समुदाय को शामिल किया जा सके ।

Representations Against Foreign Fishing Boats

9634. SHRI DAULATSINGHJI JADEJA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received representations against permitting foreign chartered fishing boats; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) Some of the salient points raised in the representations are that the charter programme:

(i) has caused disproportionate controversy in the fishing industry.

(ii) has created confusion and acts as an impedient to the development of the Indian fishing industry.

(iii) has caused fall in the catches of the small mechanised boats, with particular reference to shrimp catches.

(iv) offers an opportunity for big companies to penetrate in to the fishing industry.

(v) has been used conveniently by big companies and other companies with no fishing interest to make large amounts without taking any risks.

(vi) has damaged boats and gear of small fishermen.

News Item Captioned "Registration Evasion not Beneficial"

9635. SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Registration Evasion not beneficial" appearing in the *Indian Express* of 8 January, 1982 highlighting:

(i) postponing or avoiding registration of transfer of property not paying;

(ii) persons or whose name property stands registered to be levied Estate duty or Wealth tax;

(iii) remaining of vender transferee assessable to wealth tax or estate duty in the event of his death;

(b) if so, reaction of Government thereto, together with action taken and details thereof; and

(c) whether the registration of transfer of properties is proposed to be opened or ban imposed on the sale of properties on power of attorney?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) As the news-item is based on the information given to a Parliament Question, the question does not arise.

(c) There is no ban on the sale of property in Delhi and the same is registered subject to permission being obtained from the competent authority under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, '76, and the Delhi Lands (Restrications on Transfer) Act, 1972, wherever the provisions of these Acts are attracted. Transaction on mere power of attorney does not purport to be a sale.

Development and Installation of Water Pumps

9636. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) what steps have Government taken to encourage development and installation of water pumps which utilise the fast flow of rivers in Hill areas;

(b) have the Universities in U.P. close to hills been helped to take such important area linked to development of that region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b). Development and installation of water pumps utilising fast flow of the rivers in the hill areas, falls under minor irrigation, a responsibility of the State Governments. A beginning has been made towards the installation of a few hydrams (water lifting device) which utilise the flow of